


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

..... मुकाम
 किस्म मुकदमा
 जगदीश बनाम मूरा को.
 नं. 34 सन. 2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p>पत्रावली पेश हुई। अभ्यपत्र अधिवक्ता उप.। अधिवक्ता वारी ने उपस्थित होकर प्राप्त्र बाद बिट्टो किये जाने बानद प्रस्तुत कर कथन किया की इत उनवानी प्रकथा को तकनीकी कारणों से पक्षकार आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इस कारण नबीन बाद पेश करने की अनुमति के साथ बाद वारी बिट्टो किये जाने की अनुमति प्रदान करें। पत्रावली व प्रस्तुत प्राप्त्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्राप्त्र स्वीकार किया जाकर नबीन बाद पेश करने की अनुमति दी जाकर बाद वारी बिट्टो किये जाता है। पत्रावली निर्दिष्ट नुसार होकर सुनने दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।</p>	<p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक) </p>